भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2013

भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण नामक वैधानिक प्राधिकरण बनाने के लिए प्रस्तावित विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाना है । इसका उद्देश्य भारत के निवासियों तथा कुछ अन्य श्रेणी के लोगों को विशिष्ट पहचान संख्या जारी करना तथा उसे प्रमाणित करना है ताकि उन्हें वो फायदें और सेवाएं आसानी से मुहैया कराई जा सकें जिसके वे हकदार हैं। यह विधेयक प्राधिकरण की शक्तियां और कामकाज तथा विशिष्ट पहचान संख्या (**आधार**) जारी करने के लिए प्रारूप भी निर्धारित करेगा। साथ ही इसके अधिनियम के रूप में पारित होने से अपराध और जुर्माना तथा उससे जुड़े मामलों को परिभाषित किया जाएगा। इस संख्या के जरिए निवासी की जनसांख्यिकी तथा बायोमिट्रिक संबंधी जानकारी उपलब्ध होगी।

.

इस विधेयक में आधिकारिक संशोधनों के लिए योजना मंत्रालय द्वारा सौंपे गए प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल पहले ही मंज़ूरी दे चुका है। भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010 को 3 दिसंबर को राज्यसभा में पेश किया गया। लोकसभा की अध्यक्ष ने राज्यसभा के अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श कर इस विधेयक को वित्त से सम्बद्ध स्थायी समिति को भेज दिया। स्थायी समिति ने 13 दिसंबर 2011 को लोकसभा और राज्यसभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस बीच भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) सरकार द्वारा जनवरी 2009 में जारी कार्यकारी आदेश के तहत योजना आयोग से संबद्ध कार्यालय के रूप में काम कर रहा है।

अब तक आधार कार्ड के लिए पंजीकरण पूरी तरह से स्वैच्छिक है। इस आधार संख्या को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए पहचान पत्र या घर के पते के प्रमाण या दोनों के लिए प्रमाण के तौर पर पहले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), पेंशन निधि विनियमन और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) जैसे अनेक विनियामक प्राधिकरणों ने आधार संख्या को वैध 'केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए)' तथा ई-केवाईसी (इलैक्ट्रोनिकली-अपने ग्राहक को जानिए) के रूप में घोषित कर दिया है। आधार कार्ड न केवल वित्तीय समावेश और सशक्तिकरण का एक माध्यम बन गया बल्कि इससे आधार कार्ड धारकों को बैंकों, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवाओं संबंधी उनके कामों में भी बहुत सविधा मिल रही है।

विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषताएं

- उल्लेखित नियमों के अनुसार प्रत्येक निवासी द्वारा जनसांख्यिकी संबंधी तथा बायोमिट्रिक जानकारी देने पर प्राधिकरण उन्हें आधार संख्या जारी करेगा;

- बायोमिट्रिक जानकारी और जनसांख्यिकी संबंधी जानकारी के संबंध में आधार कार्ड धारक की आधार संख्या को प्रमाणित करना नियमों में उल्लेखित शर्तों और शुल्क के विषयाधीन होगा;
- आधार संख्या या उसके प्रमाणीकरण मात्र से आधार संख्या धारक को नागरिकता या निवासी होने का हक या प्रमाण नहीं मिल जाता;

- यह प्राधिकरण को किसी व्यक्ति से उसके धर्म, जाति,जनजाति, नस्ल, भाषा, आय या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मांगने की इजाज़त नहीं देता;

- यह प्राधिकरण को महिला,बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के कामगारों घुमंतू प्रजाति आदि को आधार संख्या जारी करने के लिए विशेष कदम उठाने का अधिकार भी देता है;

- भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण की स्थापना जिसमें एक अध्यक्ष तथा दो अंशकालिक सदस्य होंगे;
- एकत्रित की गई जानकारी केंद्रीय पहचान डाटा संग्रह में संग्रहित होगी। इस विधेयक के जरिए एक पहचान समीक्षा समिति भी स्थापित की जाएगी जो आधार संख्या के उपयोग के स्वरूप की निगरानी करेगी।

आधार पहचान पत्र देशभर में वैध है और यह गांवों से शहर पलायन करने वालं लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक तथा उपयोगी है।

****